दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 22.01.2024

उद्घोषित: 22.02.2024

आप.वि.वा. 6586/2023 व आप.वि.आ. 24724/2023

के मामले में:

कुंवरपाल .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुमित शर्मा और श्री नरेन्द्र, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य द्वारा पु.स्टे. स्पेशल सेल, थानाध्यक्ष .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री आशनीत सिंह, उप-निरीक्षक धर्मेंद्र पु.स्टे. स्पेशल सेल रोहिणी/उ.क्षे. व विशेष कार्य बल के साथ राज्य हेतु अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार ओहरी

निर्णय

1. वर्तमान याचिका दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल (एसबी) में धारा 21/29 एनडीपीएस(स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी सं.11/2019 में कार्यवाही को अभिखंडित करने के साथ-साथ आरोप विरचित करने के आदेश और याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसके अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाही के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षेप में, वर्तमान याचिका के न्यायनिर्णयन हेतु प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: -

> i) दिनांक 18.01.2019 को, कथित गुप्त सूचना के आधार पर, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सह-अभियुक्तों संजय, मौसम अली और छोटे खान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मौसम अली और छोटे खान के पास से डेढ़-डेढ़ किलो हेरोइन से भरे बैग बरामद हुए। कुल मिलाकर, सह- अभियुक्त व्यक्तियों से और उस कार से जिसमें वे कथित तौर पर पंजीकरण संख्या यूके 06 एजी 0684 में, दिल्ली के निरंकारी सरोवर के पास यात्रा कर रहे थे, में 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद, कथित बरामदगी के आधार पर, तीनों सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद, तीन सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण अभिलिखित किए गए और संबंधित अन्वेषण अधिकारी ने उक्त व्यक्तियों के अभिग्रहण और गिरफ्तारी के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत दो रिपोर्ट भी दायर कीं।

ii) एक अन्य सह-अभियुक्त जलील खान को दिनांक 19.01.2019 को विजय नंगला फाटक से ग्राम बिल्सी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली सड़क पर सरकारी स्कूल से 150 मीटर दूर से गिरफ्तार किया गया था, हालाँकि उससे कुछ बरामद नहीं हुआ था। उक्त सह-अभियुक्त ने एक प्रकटीकरण बयान दिया जिसके आधार पर, वर्तमान याचिकाकर्ता कुँवर पाल को पुलिस ने दिनांक 24.01.2019 को उसके घर से उठाया था। यद्यपि, याचिकाकर्ता से कुछ बरामद नहीं हुआ और एक प्रकटीकरण विवरण निकाला गया।

iii) महत्वपूर्ण नंबरों के टेलीफोन अवरोधन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिल्ली के विभिन्न नोडल अधिकारियों को लिखे गए कुछ पत्रों और साथ ही अभियुक्तों के साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के मध्य कुछ कथित बातचीत पर भरोसा करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी होने के बाद आरोपी व्यक्तियों संजय, छोटे खान, मौसम अली, जलील खान और कुंवरपाल/याचिकाकर्ता के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (ग) और 29 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया।

iv) विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.09.2019 के आदेश के अंतर्गत याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के अंतर्गत आरोप विरचित किए।

v) इसके बाद, याचिकाकर्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2019 के आदेश के अंतर्गत नियमित जमानत दे दी गई। याचिकाकर्ता का उन्मोचन हेतु

आवेदन दिनांक 09.06.2022 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया गया। सह-अभियुक्त जलील खान और कैसर खान को इस न्यायालय के दिनांक 18.11.2022 के आदेश द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के अंतर्गत याचिकाकर्ता पर आरोप विरचित करने में गलती की है, क्योंकि उसके व्यक्ति/कब्जे से या उसके कहने पर ऐसा कुछ भी दोषी ठहराने लायक बरामद नहीं हुआ था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता उस स्थान पर उपस्थित नहीं था जहां सह-अभियुक्तों *संजय, मौसम अली* और *छोटे खान* को गिरफ्तार किया गया था और उसे बाद में, सह-अभियुक्त जलील खान के प्रकटीकरण बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

4. आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त *संजय, मौसम अली* और *छोटे खान* के प्रकटीकरण बयान तात्विक पहलुओं में समान हैं और याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं, किंतु बदले में, अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों सहित कुल 7 अन्य व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने अन्य व्यक्तियों *मुस्तकीम, अरशद, सद्दाम, खुर्शीद, मम्मुर, वसीम और कासिम* के विषय में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की है, जिनके नामों का बयानों में उल्लेख है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष

आरोप पत्र में उक्त व्यक्तियों को सह- अभियुक्त के रूप में सम्मिलित न करने के कारणों का उल्लेख करने में विफल रहा है।

5. इसके अलावा, यहां तक कि गुप्त जानकारी जो उपरोक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी सहित पूरे मामले की शुरुआत हेतु आधार के रूप में काम करती थी, उसमें भी याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है। गुप्त जानकारी में केवल सह-अभियुक्त व्यक्तियों *संजय, छोटे खान* और *मौसम* अली के नाम के साथ-साथ वाहन और समय से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है, किंतु यह याचिकाकर्ता के संबंध में मौन है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि जिन कॉल विवरण रिपोर्ट और प्रतिलेखनों पर भरोसा किया गया है, उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् संजय, छोटे खान और मौसम अली के बीच किसी भी समय कोई बातचीत नहीं है। यहां तक कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच कथित प्रतिलेख में भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दोषी ठहराये जाने लायक साक्ष्य नहीं है और याचिकाकर्ता के नाम का भी उक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में दायर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है।

7. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने उक्त याचिका का विरोध किया है। उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट अभिलिखित की है, जिसमें कहा गया है कि पूछताछ के दौरान, सह-अभियुक्त जलील खान ने प्रकट किया कि वह एक अवैध हेरोइन

तस्करी रैकेट में शामिल था और आगे प्रकटन किया कि वह वर्तमान याचिकाकर्ता से इसकी आपूर्ति लेता था।

8. कॉल विवरण रिकॉर्ड कनेक्टिविटी और अभियुक्त जलील खान और याचिकाकर्ता के मध्य दो आपत्तिजनक अंतर्रूद्ध की गई वॉयस कॉल पर भी भरोसा जताया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 9761404555 नंबर का उपयोग कर रहा था, और पूछताछ करने पर, उक्त नंबर की सदस्यता याचिकाकर्ता को दी गई थी। आगे कहा गया है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के आवाज के नमूने एफएसएल में अभिलिखित किए गए थे और विश्लेषण करने पर, वह अंतर्रूद्ध की गई कॉल के आवाज के नमूने से मेल खाते थे। याचिकाकर्ता को पु.स्टे.-सिरोली, बरेली, उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी सं.304/17 नामक एक अन्य मामले में भी शामिल पाया गया है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलिखित की गई सामग्री का भी अवलोकन किया है।

10. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के अंतर्गत अपराध हेतु निम्नलिखित कारण देकर आरोप विरचित किए हैं: -

> *"कि दिनांक 18.01.2019 को या उससे पहले, आपने स्वापक वस्तु के कब्जे/विक्रय क्रय और लेनदेन हेतु एक आपराधिक षड्यंत्र में प्रवेश किया। दिनांक 18.01.2019 को आपके सह अभियुक्त मौसम अली, छोटे खान और संजय को कार सं.*

यूके 06 एजी 0684 चलाते हुए पाया गया और तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 05 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई और आपके सह अभियुक्त जलील खान ने आपकी संलिप्तता के बारे में प्रकटन किया और इस प्रकार आपने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 सहपठित धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है और यह मेरे संज्ञान में है।

11. यह स्पष्ट है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश सह-अभियुक्त जलील खान के प्रकटीकरण बयान और कॉल विवरण रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता पर आरोप विरचित करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें दर्शाया गया कि जलील खान और याचिकाकर्ता के बीच 2 वॉयस कॉल थे। आरोप पत्र का परिशीलन यह दर्शाता है कि कॉल विवरण रिकॉर्ड पर निर्भरता सह-अभियुक्त जलील खान के प्रकटीकरण बयान की पृष्ठभूमि में रखी गई थी, जो प्रकृति में अननुज्ञेय है।

12. <u>दिलावर बालू कुरैन बनाम महाराष्ट्र राज्य</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि आरोप विरचित करते समय, न्यायाधीश के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि क्या अभिलिखित सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध 'गंभीर संदेह' का प्रकटन करती है। इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"12. अब अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय, विधि की स्थापित स्थिति यह है कि उक्त धारा के अंतर्गत आरोप विरचित करने के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायाधीश के

पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य हेतु साक्ष्य को छानने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं; जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह का प्रकटन करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, न्यायालय को आरोप विरचित करने और विचारण को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से न्यायसंगत ठहराया जाएगा; कुल मिलाकर यदि दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके समक्ष पेश किए गए साक्ष्य कुछ संदेह उत्पन्न करते हैं परंतु अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह नहीं उत्पन्न करते, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करने हेतु पूर्ण रूप से न्यायसंगत होंगे, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायाधीश केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकते है, अपितु उन्हें मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्यों के कुल प्रभाव और न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए, किंतु मामले के पक्ष और विपक्ष के इर्द-गिर्द पूछताछ नहीं करनी चाहिए और साक्ष्यों की तुलना ऐसे करनी चाहिए जैसे कि वह विचारण कर रहे हों। [देखें भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल व अन्य (1979 3 एससीसी 5)]।"

13. उपरोक्त सिद्धांतों को मामले में लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य कॉल विवरण रिकॉर्ड है जो संदेह उत्पन्न करता है किंतु गंभीर संदेह नहीं। यदि कॉल विवरण रिकॉर्ड को प्रकटीकरण विवरण के बिना माना जाता है, तो उक्त अंतर्रूद्ध की गई कॉल को संबंधित

पुनर्प्राप्ति से जोड़ने हेतु कुछ भी अभिलिखित नहीं किया गया है। केवल कॉल विवरण रिकॉर्ड कनेक्टिविटी, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री वाली किसी भी बातचीत के बिना, मामले को 'गंभीर संदेह' के दायरे में नहीं लाएगी। यह दर्शाने के लिए कोई अन्य सामग्री अभिलिखित नहीं की गई है कि याचिकाकर्ता तीन सह-अभियुक्तों *संजय, मौसम अली और छोटे खान* से कथित तौर पर बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ में किसी भी तरह से शामिल था। उक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों के साथ-साथ पुलिस को प्राप्त गुप्त जानकारी में याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है। साथ ही, गिरफ्तारी के समय याचिकाकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है।

14. न्यायालय को श्याम गुप्ता व अन्य बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय से भी समर्थन मिलता है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों के मध्य केवल कॉल विवरण रिकॉर्ड कनेक्टिविटी मामले को गंभीर संदेह के अंतर्गत लाने हेतु पर्याप्त नहीं पाया गया।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही विधि का दुरुपयोग होगी और इस प्रकार, यह अपास्त किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, याचिका को अनुज्ञात किया जाता है और याचिकाकर्ता हेतु कार्यवाही अभिखंडित की जाती है। लंबित आवेदन को निष्फल मानकर इसका निपटान किया जाता है।

मनोज कुमार ओहरी
(न्यायाधीश)

फ़रवरी 22, 2024
जीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*